म्बर
हक
हुक्म
मे

ायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

क़दमा नम्बर 179/2024 प्रार्थनापत्र

01. रामलाल पुत्र श्री नानूराम बलाई आयु वयस्क निवासी– चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–––– विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थित :–

श्री अशोक कुमार लखारा ––––अधिवक्ता प्रार्थी

ैरोकार सरकार ––उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक– 04.11.2024

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 ान्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि ाजियात जिसके आराजी नम्बर 1290/1105 रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो चांदरास से करेड़ा सड़क ाजी नम्बर 1104 से होकर होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 1105 रकबा 4.2998 ट्यर से होकर होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 1290/1105 आता जाता जाता है। जिसमे से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस मेल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण ोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के षि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

ौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख नेरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 290/1105 रकबा 1.2646 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 1105 रकबा 4.2998 हैक्टयर ापक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई स्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चांदरास–करेड़ा सड़क आराजी म्बर 1104 से विपक्षी की आराजी नम्बर 1105 जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप मे 238 र्गमीटर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी शि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , र्थी की आराजी नम्बर 1290/1105 रकबा 1.2646 हैक्टयर मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी बर 1105 मे 30 फीट चौडाई मे रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास भू भेलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) आराजी नम्बर 90/1105 रकबा 1.2646 हैक्टयर मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1105 रकबा 4.2998 क्टयर मे से 30 फीट चौडाई (लम्बाई 26मीटर चौडाई 9.1463 मीटर)के रूप मे कृषि कार्य हेतु ने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे हसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते दी जाने आने वाली मे जो 238 वर्गमीटर बनती है, जिसकी हैक्टयर मे गणना कर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर राजकोष मे जमा किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)